

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अदालत

मुकदमा

उपरवर्षी अधिकाारी  
माली राम खन्ना  
मुन

खन्ना काकर विद्  
360

नीमकाधाना

वर्ष 2017

हुकम या कार्यवाही नव इनाशियत्त जज

2017/00126

नम्बर व तारीख अहकाम जो इत्त हुकम की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री देवी इ. अर्वा एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाये।

प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द खुर्द व हस्तान्तरण करने तथा रहन के लिए आनादा हो रहे हैं। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 4/11/17 तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

359, 360, 361, 362, 365, 367 कुल मिला 6

कुल रकम 6.00 रु०

अवस्थित ग्राम जोरखानपुरा तहसील नीमकाधाना जिला सीकर के देवान नदी से एवं सिआ सि पधारीपति बनाये रखे।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से निजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठीक कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में सुशोधन/वेकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस नव आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 4/11/17 को पेश हो।

उपरवर्षी अधिकाारी



25/11/22 पत्रावली पेश हुई। अतिमाधक साथ  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 8/14/22 को पेश हो।

8/14/22

2/16/22

2/16/22 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपस्थित  
PO साक्ष्य दीना कार्य में व्यस्त है।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/5/22  
को पेश हो।

वकूला उपा। वरत हेतु फुल: अवन-पक्ष  
वगत वरत जवाबदी दिनांक 12/10/22 को  
पेश हो।

(F)

12/10/22 पत्रावली पेश हुई। अतिमाधक साथ  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 10/14/22 को पेश हो।

10/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकूला उप. LPO  
सा. दी. पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 22/2/22 को पेश हो।

22/2/22 पत्रावली पेश हुई। अतिमाधक साथ  
आज अदालती कार्य का स्थगन कर  
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 27/4/22 को पेश हो।

27/4 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी  
सामुहिक अवकाश पर होने के कारण  
पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 2/6/23  
नियत की जाती हैं।

2/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकूला उपस्थित

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/8/23	<p>वकुलाय उपण बरस हेतु असाधारण पेशी पेशी                      बरस पत्रावली दिनांक 19/10/23 को पेश की है।</p>
19/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप।                      P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त                      होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार                      दिनांक 16/1/24 को पेश हो। १२</p>
10/1/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित                      I.P.O. साहब <sup>वकील</sup> पर हैं। पत्रावली पूर्व                      आदेशानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हैं।</p>
26/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। आर्ची व वकील आर्ची                      अनुपस्थित। आ-आ आवाज लगावली।                      आवाज लगाने के उपरान्त भी आर्ची की                      आगे से कोई उपस्थित नहीं आया। आतः                      आर्ची का आर्ची पर अन्तर्द्वि विधीयता                      असाधारण असाधारण में खारीज किया जाता                      है। पत्रावली फौजदारी शुभा एतए नम्बर है का                      एतए दस्ता दाखिल है।</p>
	<p>(राजवीर सिंह यादव)                      उपखण्ड अधिकारी                      नीमकाथाना (राज.)</p>